निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 3 / 2021
दायरा दिनांकः–12.01.2021
निर्णय दिनांकः– 23.10.24

उनवान

1. चन्द्रकला आयु 45 वर्ष पुत्री बिहरीलाल पत्नी महेन्द्रसिंह जाति काछी निवासी माताजी का मन्दिर के पास वार्ड नम्बर 23 छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज0
2. गुड्डी बाई आयु 50 वर्ष पुत्री बिहारीलाल पत्नि नवल जाति काछी निवासी उतावली तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज0
3. मंजुबाई आयु 35 वर्ष पुत्री बिहारीलाल पत्नि ओमप्रकाश जाति काछी हाल निवासी ढोलम तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज0

बनाम

1. बिहारीलाल आयु 48 वर्ष पुत्र धुलीलाल जाति काछी निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. हरिश आयु 40 वर्ष पुत्र बिहारीलाल जाति काछी निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. ओमप्रकाश आयु 45 वर्ष पुत्र बिहारीलाल जाति काछी निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. सत्यनारायण आयु 32 वर्ष पुत्र बिहारीलाल जाति काछी निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. राजु आयु 30 वर्ष पुत्र बिहारीलाल जाति काछी निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
6. संतोष आयु 25 वर्ष पुत्री बिहारीलाल जाति काछी निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
7. राज्य सरकार जर्ये सब रजिस्ट्रार छबडा जिला बारां (राज0)
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 23.10.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री अशोक मेहता– प्रार्थी
2. श्री दीपक वर्मा – अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि कस्बा छबडा पटवार हल्का छबडा तहसील छबडा जिला बारों राजस्थान मे खाता संख्या 233 की खसरा नम्बर 356 / 1 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा लगानी 2.66 रूपये किता। रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल लगानी 2.66

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

...ये स्थित है जो खातेदार बिहारीलाल पुत्र धूलीलाल जाति काछी सा० देह दर्ज जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 आराजी स्थित है। कस्बा छवडा पटवार मण्डल छबडा तहसील छबड़ा जिला बारों राजस्थान की आराजी खाता संख्या 232 खसरा नम्बर 220 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा माल दोयम लगानी 11.52 रूपये कुल किता 1 कुल रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा कुल लगानी 11.52 रूपये स्थित है जो खातेदार बिहारीलाल पुत्र धूल्या उर्फ धूलीलाल जाति काछी सा०दर्ज जमाबन्दी सम्मत् 2074 से 2077 आराजी स्थित है। ग्राम टॉडी पटवार मण्डल छबडा तहसील छबडा जिला बारों राजस्थान की खाता संख्या 72 की खसरा नम्बर 53/2 रकबा 10 बिस्वा लगानी 0.78 रूपये खसरा नम्बर 56/2 रकबा 11 बिस्वा चाही प्रथम लगानी 4.91 रूपये स्थित है जो खातेदार बिहारी उर्फ बिहारीलाल पुत्र धूल्या उर्फ धूलीलाल जाति काछी सा०देह दर्ज जमाबन्दी सम्मत् 2073–2076 आराजी स्थित है। प्रार्थना पत्र की मद नम्बर– 23. 4 की सम्पूर्ण आरजी पुश्तैनी जायदाद है जिस पर घर के सम्पूर्ण सदस्य हिन्दू अनुयायी होने से पुश्तैनी जायदाद मे प्रार्थीगण का जन्म सिद्ध अधिकार है जिसको प्राप्त करने के अधिकारी है। कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी 2 ता 6 अप्रार्थी नम्बर–1 के पुत्र व पुत्रियों है जो प्रार्थनापत्र की मद नम्बर–2,3,4 में स्थित आराजी में सब का बराबर का हिस्सा है क्योकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी 2 ता 6 अप्रार्थी नम्बर–1 को पूर्वजो से प्राप्त भूमि है जिसमे जन्मसिद्ध अधिकार निहित होने से बराबर के हकदार है और अपना हक प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त प्रार्थनापत्र की मद नम्बर– 2,3,4 मे दर्ज आराजीयात रोड के लगवा होने से बेस कीमती है और बेस किमती होने से अप्रार्थी नम्बर 1 व अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 मिल कर बिना प्रार्थीगण व अप्रार्थी नम्बर–6 को बिना सहमति के बेचान कर हस्तान्तरण कराने पर आमदा है व बेचान का सौदा कर लिया है व अप्रार्थी नम्बर–7 के यहाँ हस्तान्तरण दस्तावेज रजिस्टर्ड करवाने के लिये तत्पर है जिस से प्रार्थीगण व अप्रार्थी नम्बर–6 के अधिकार छिन जावेगे अपे अधिकारो का कुठाराघात होगा। व भूमि से वंचित रह जावेगे क्योकि इस समय सम्पूर्ण आराजी अप्रार्थी नम्बर–1 के खातेदारी में दर्ज है इसलिये हम प्रार्थीगण उक्त भूमि का हस्तान्तरण नहीं करने बाबत् अप्रार्थीगण 1 ता 5 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना चाहते है कि उक्त भूमि को बेचान नहीं करने व अन्यत्र के नाम हस्तान्तरण करने बाबत् पाबन्द करवाना चाहते है एवं उक्त भूमि मे से हमारा हिस्सा विभाजन कर अलग से खाता दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है वरना हम प्रार्थीगण व अप्रार्थी नम्बर–6 के हको का कुठाराघात हो जावेगा व भूमि से महरूम हो जावेगे हमारा हक छीन जावेगा। कि उक्त भूमि को बेचान का सौदा करने के कारण नही बेचने बाबत् प्रार्थीगण ने अप्रार्थी ता 5 से अन्तिम बार दिनांक 5–1–2021 को कहा और हमारा हक प्राप्त करने के लिये निवेदन किया तो साफ इन्कार कर दिया व गाली गलौच कर भगा दिया और धमकी दी की तुम्हारी कोई भूमि नहीं है हम तो बेचेगे और भूमि को खुर्द बुर्द करेगे तुम कुछ नहीं कर सकते यही दिनांक वाद कारण तिथि नियत की जाती है। उक्त भूमि को बेचान नहीं करने व अप्रार्थी संख्या–7 के यहाँ हस्तन्तरण दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन नही करने बाबत् दिनांक 5–1–2021 को प्रार्थनापत्र यहाँ प्रस्तुत किया तो अप्रार्थी संख्या 7 व 8 ने कहा कि आपके पास स्टे हो तो हस्तान्तरण रोक सकते है वरना हम तो रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसलिये उन्होने श्रीमान के समक्ष वाद प्रस्तुत कर स्टे प्राप्त करने की सलाह दी है। कि प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या केस है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में विद्यमान है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही हुई तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नही हो सकेगी।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 233 नकल जमाबन्दी ग्राम ग्राम छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 232 नकल जमाबन्दी ग्राम टोडी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 72 पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थीया का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम छबडा व टोडी में स्थित है। जो अप्रार्थी क्रम 1 के खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी पुश्तेनी जायदाद है जिस पर प्रार्थी का जन्म से अधिकार है प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी क्रम 2 ता 6 अप्रार्थी क्रम 1 के वारिसान है पैत्रक आराजी होने से सभी वारिसान बराबर हिस्सा निहित है जिसे प्राप्त करने के अधिकारी है विवादित आराजी रोड से लगवा होने से बेस कीमती है अप्रार्थी क्रम 1 व अप्रार्थी क्रम 2 ता 6 मिल कर प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 6 की बिना सहमति के बेचान कराने पर आमादा है। बेचान का सौदा अप्रार्थीगण ने कर लिया है प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 6 के अधिकारों को छीनना चाहतें है यदि अप्रार्थीगण द्वारा भूमि को रहन बेचान कर दिया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील अप्रार्थी का कथन है कि ग्राम छबडा के खसरा नम्बर 354/1 रकबा 0.4806 है0 भूमि अप्रार्थी क्रम 1 बिहारीलाल द्वारा खातेदारी रामेश्वर से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था जो अप्रार्थी क्रम 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति थी। अप्रार्थी बिहारीलाल के 9 पुत्र पुत्रिया है उनको कर्ज लेकर पढाया लिखाया तथा शादियां की गई। अप्रार्थी क्रम 1 बिहारीलाल ने कर्ज लेकर ट्युबवेल लगवाया तथा अपनी पत्नि की बीमारी का इलाज करवाया जिसमें करीबन 5 लाख रूपये खर्ज हुए उसके बाद अप्रार्थी क्रम 1 की पत्नि की ब्रेन स्ट्रोक होने से मृत्यु हो गई। प्रार्थीगण कभी भी अप्रार्थी क्रम 1 से हाल चाल पूछने नही आई ग्राम टोडी के खसरा नम्बर 53/2 रकबा 0.1265 है0 खसरा नम्बर 56/2 रकबा 0. 1391 है वर्तमान में राजेन्द्र कुमार गुप्ता के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जो अप्रार्थी क्रम 1 ने कर्ज अदायगी हेतु रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान की थी। कस्बा छबडा के माल की भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 1.6946 है0 खसरा नम्बर 356/1 रकबा 0.4800 है0 भूमि वर्तमान अप्रार्थी क्रम 1 बिहारीलाल के नाम दर्ज जमाबन्दी नही है उक्त भूमि वर्तमान में ओमप्रकाश राजु, सत्यानारायण, हरीश पुत्र बिहारीलाल काछी निवासी छबडा के खाते में दर्ज है उक्त भूमि अप्रार्थी क्रम 1 ने दिनांक 22.02.2021 को जर्ये रजिस्टर्ड दान पत्र अपने पुत्रों की सेवाओं से प्रसन्न होकर दान कर दी थी। उक्त दान पत्र को निरस्त कराये बिना प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 233 एवं खाता संख्या 232 बिहारीलाल पुत्र धुलीलाल के नाम दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबन्दी ग्राम टोडी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 72 में बिहारीलाल पुत्र धुल्या का नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी के जवाब एवं बहस के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण बिहारलाल की पुत्रिया होने से पैत्रिक

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

पैति में उनका उक्त आराजी में अधिकार निहित है। खसरा नम्बर 356/1 को अप्रार्थी न क्रय शुदा सम्पत्ति बताया है परन्तु उसके साथ दस्तावेज/साक्ष्य पेश नही किये गये शेष भूमि खसरा नम्बर 220 एवं 53/2, 56/2 पैत्रिक सम्पत्ति है अर्थात् सम्पूर्ण विवादित आराजी में पुत्रियों/प्रार्थीगण का अधिकार निहित है।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में जमीन का विक्रय/दान दिनांक 22.02.2021 को बताया गया है एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 दिनांक 12.01.2021 को प्रस्तुत किया गया था। अर्थात् उक्त आराजी का हस्तान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के बाद किया गया है। इसलिए 212 आर0टी0एक्ट0 के प्रार्थना पत्र में न्यायालय क्रेताओं को पार्टी बनाना उचित नही समझता है। इस आधार पर वाद बहुलता को रोकने एंव प्रार्थीगण के अधिकारों के संरक्षण हेतु सम्पूर्ण भूमि पर राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति मूल वाद के निर्णय होने तक बनाये रखना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कस्बा छबडा के खसरा नम्बर 356/1 रकबा 1.18 बीघा खसरा नम्बर 220 रकबा 6.14 बीघा एवं ग्राम टोडी के खसरा नम्बर 53/2 रकबा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 56/2 रकबा 11 बिस्वा पर रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)